न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिवाना

पीठासीन अधिकारीः—श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

प्रकरण संख्याः— 105 / 2021

प्रार्थीगणः—

1. कालुराम पुत्र उमाराम जाति रबारी निवासी देताकलां तहसील सायला जिला जालोर
2. दीपसिंह पुत्र पीरसिंह जाति राजपूत
3. भौंपसिंह पुत्र पीरसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम पंऊ तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1 आम्बाराम पुत्र भुरा जाति रबारी

2 जुंजाराम पुत्र भुरा जाति रबारी

3 दिनेश कुमार पुत्र भुरा जाति रबारी

4 निम्बाराम पुत्र भुरा जाति रबारी

5 सबुटी पत्नी भुरा जाति रबारी

6 केशाराम पुत्र खेताराम जाति रबारी

7 दोलाराम पुत्र खेताराम जाति रबारी

8 कोकू पुत्री हेमाजी जाति मेघवाल

9 सकू पुत्री हेमाजी जाति मेघवाल सभी निवासीगण ग्राम कांखी तहसील सिवाना जिला बाडमेर

10 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम
कायम करवाने बाबत् रास्ता

उपस्थित :— **1. श्री जयप्रकाश रामदेव अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. विप्रार्थीगण इकबाली जबाब

—: आदेश :—

दिनांक :—31.01.2022

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व रा.का.अ. की धारा 251 क के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 140 रकबा 16.92 हैक्टयर किस्म धोरा सरहद मौजा कांखी पटवार क्षेत्र पंऊ में आई हुई है जिसमें आवागमन का एक मात्र रास्ता प्रार्थीगण के खेत के बादशा उत्तर पूर्व में स्थित विप्रार्थीगण की खातेदारी की खेत खसरा संख्या 138 की उत्तरी माठ से होते हुए खेत खसरा संख्या 93 के दक्षिणी माठ से होते आगे राजस्व कटाण सडक मार्ग तक जाता है जिसको सुस्पष्ट करने हेतु प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' पेश किया है प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में बरंग लाल से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.03.10 14:03:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

दर्शाया है। प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त मार्ग विगत पीढीयो से सुचारू रूप से खुला है,उक्त बरंग लाल रास्ते परआवागमन के बाबत विप्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों ने कभी आपत्ति नहीं की,लेकिन समय का अन्तर आ जाने के कारण विप्रार्थीगण मौके पर विरोध पैदा करने हेतु आमादा हुए तथा मौके पर अवरोध पैदा कर दिया,तथा इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपने ट्रेक्टर हल, कृषि औजार को लाने ले जाने तथा आवगमन करते रहे है इसके अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है अतः प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी की गई।

पेशी दिनांक 17.09.2021 को विप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाली जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को बिना प्रतिफल लिये रास्ता घोषित करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

तहसीलदार द्वारा आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण कर फर्द मौका 31.12.2021 जरिये पत्रांक राजस्व/2022/81 दिनांक 28.01.2022 को प्रेषित जो शामिल पत्रावली की गई । तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 138,660/93 व 139 में आवगमन हेतु चाहा रास्ता एक मात्र नजदीकी रास्ता बताया गया । मौका फर्द पर पक्षकरान द्वारा बिना प्रतिफल लिये रास्ता घोषित किये जाने हेतु सहमति जाहिर की गई ।

हमने प्रार्थीगण वकील की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। दौराने बहस प्रार्थीगण वकील ने निवेदन किया विप्रार्थीगण द्वारा श्री न्यायालय में हाजिर होकर उक्त रास्ता घोषित करने बाबत सहमति जाहिर कर राजीनामा प्रस्तुत कर बिना किसी प्रतिफल के प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को घोषित करवाने हेतु सहमति दी है। जो तस्दीक सुदा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गै.मु.रास्ता घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन [illegible] पत्रावली पर संलग्न तहसलीदार सिवाना का मौका फर्द का [illegible] मनन किया । प्रार्थीगण के अत्याधिक आवश्यकता को [illegible] के सहमति के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रा.का.अ. की धारा 251 क स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदार खेत खसरा संख्या 140 सरहद मौजा कांखी पटवार मण्डल पंऊ में कृषि कार्य के लिये आवगमन हेतु प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 138,660/93 व 139 में से 13 फीट (2गटठा) चौडा रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by:Kusumlata Chouhan
Date: 2022.03.10 14:03:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न नक्शा किश्तवार अनुसार बरंग लाल 13 फीट (2गटठा) चौडा रास्ता घोषित किये जाने के आदेश दिया जाता है। प्रार्थी को प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

उक्त नया 13 फीट के रास्ता में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृत निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज होगी।प्रार्थी को इस प्रकार दर्ज 13 फीट चौडे भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकारी अर्जित नहीं होगे। तहसीलदार सिवाना को उक्त रास्ते की भूमि का गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2022/81 दिनांक 28.01.2022 प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो। **चूंकि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता जरिये राजीनामा बिना प्रतिफल के विप्रार्थीगण देने हेतु तैयार है इसलिए विप्रार्थीगण को रास्ते के रूप में घोषित भूमि के एवज में किसी प्रकार का प्रतिफल देय नही होगा।**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 31.01.2022 लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.03.10 14:03:35 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा - किस्तवार (आंशिक)
मौजा - कोरवी
तहसील - सिवाना
पैमाना श्री 1 इंच = 20 गज।

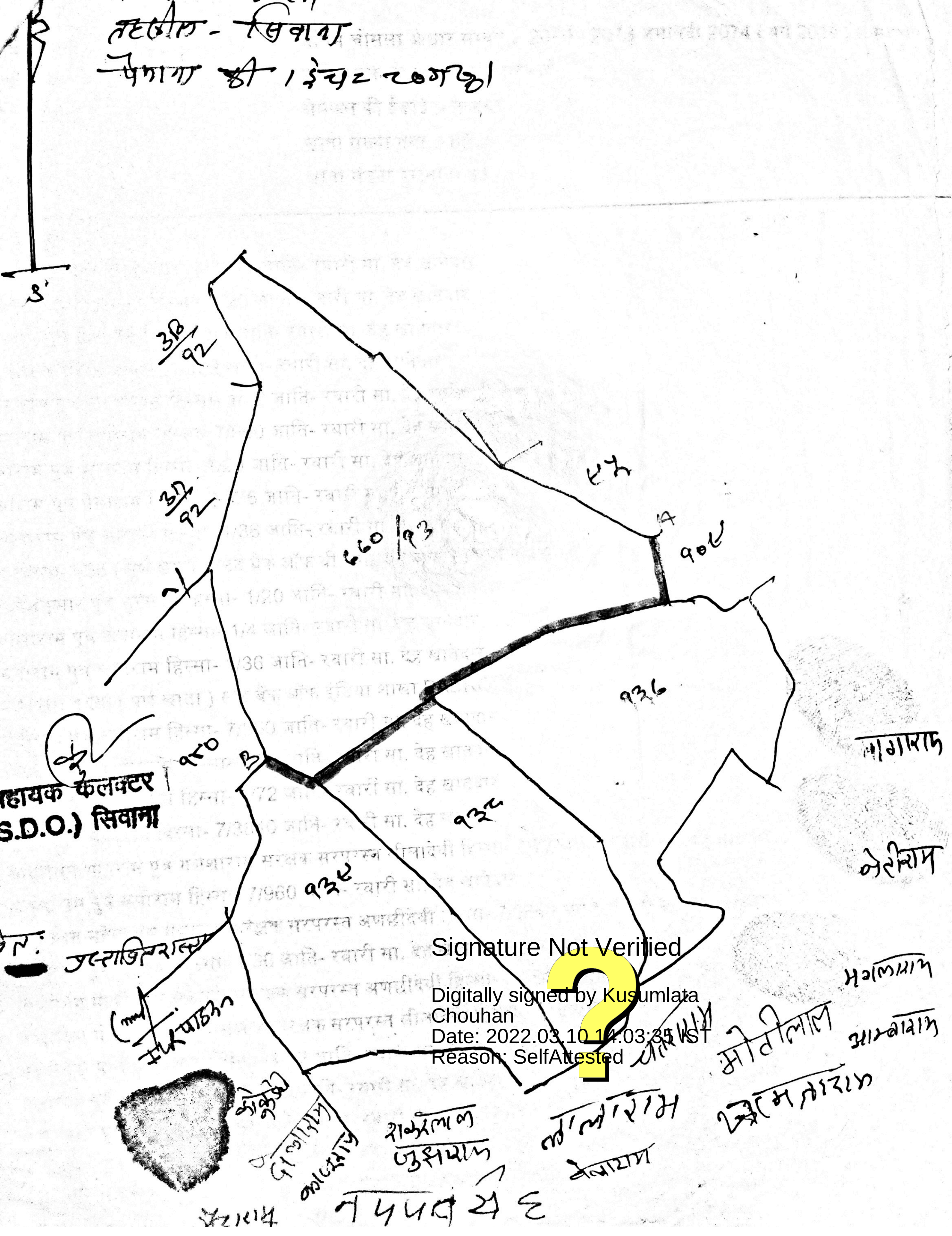

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.03.10 14:03:35 IST
Reason: SelfAttested